

बिहार सरकार

कृषि विभाग

2040

3/कृ0 बजट-विविध 52/2014

कृ0 पटना दिनांक: 17/4/2015

प्रेषक

रामजी सिंह

सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र, आरा/सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, नालंदा/गया/औरंगाबाद/नवादा/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी / हाजीपुर/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर /छपरा /सिवान/ गोपालगंज / मुंगेर/ कटिहार /बक्सर/ रोहतास/भभुआ (कैमूर) /अरवल /जहानाबाद/ शिवहर/बेगुसराय/ लखीसराय/शेखपुरा /जमुई / भागलपुर/ बांका/सुपौल/मधेपुरा/किशनगंज/अररिया।

विषय:- विभागीय अधिसूचना द्वारा सम्परिवर्तित किये गये पदों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कोड यथावत रखते हुए राशि की निकासी के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक:-924 दि0-13.02.2015 एवं महालेखाकार बिहार पटना का पत्रांक टी0 एम0- प्राधि0 पत्र-(15-16) -01 दिनांक-06.04.2015।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक:-924 दि0-13.02.2015 को वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार बिहार को संसूचित किया गया है। महालेखाकार बिहार का पत्रांक टी0 एम0- प्राधि0 पत्र-(15-16)-01 दिनांक-06.04.2015 द्वारा यह सूचित किया गया है कि "वित्त विभाग के पत्रांक:-7355 दि0 (2) दि0-5.10.2007 के आलोक में महालेखाकार कार्यालय से सिर्फ किसी कार्यालय के प्रथम स्थापना के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा सकता है।" किसी भी कार्यालय में प्रथम स्थापना के मामले में वित्त विभाग का संसूचन/सहमति आवश्यक है।

विदित है कि प्रासंगिक मामला प्रथम स्थापना का नहीं है। बल्कि विभागीय अधिसूचना संख्या:- 2298 दिनांक-27.05.2014 एवं 3115 दिनांक-11.07.2014 द्वारा पूर्व से स्वीकृत पद को सम्परिवर्तित किया गया है। इसलिए इसमें महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतएव सम्परिवर्तित पदनाम से अपने स्थापना अन्तर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार से किया जा सकता है। सुविधा हेतु महालेखाकार बिहार पटना का प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न है।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह) 16/4/15

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- 2040

/कृ०, पटना, दिनांक: -17/4/2015

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुलग्नक सहित वित्त विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रामजी सिंह) 16/4/15

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

रामजी

रामजी

ज्ञापांक- 2040

/कृ०, पटना, दिनांक: - 17/4/2015

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक बिहार पटना/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी।/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी / सभी सहायक निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/ सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जाँच प्रयोगशाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(151/16/4/15)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 2040

/कृ०, पटना, दिनांक: - 17/4/2015

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई-टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

(151/16/4/15)


सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सिंह



26

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA



पत्रांक टी०एम०-प्राधि० पत्र-(15-16)- 01
No.
दिनांक :- 06/04/15
Dated

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का कोड यथावत रखने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-924 दिनांक 13.02.2015 एवं वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या 487 दिनांक 09.03.2015 द्वारा कृषि विभाग की अधिसूचना सं० 1/ए०जी०-21/2013-2290 दिनांक 27.05.2014 एवं 3115 दिनांक 11.07.2014 के आलोक में पूर्व पदनाम वाले डी०डी०ओ० कोड को सम्परिवर्तित पदनाम के लिए यथावत रखते हुए तदनुसार सहमति देने का आग्रह किया गया है । परन्तु राशि की निकासी किस कोषागार से होगी तथा किस विपत्र कोड से की जायेगी- पत्र में इसका वर्णन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग के ज्ञापांक 7355 वि० (2) दिनांक 05-10-2007 के आलोक में अब इस कार्यालय से सिर्फ किसी कार्यालय के प्रथम स्थापना के मामले में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है ।

अतः उपरोक्त स्थापना प्रथम स्थापना से संबंधित है और इसके लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है तो इसका उल्लेख करते हुए निकासी कोषागार एवं संबंधित विपत्र कोड की जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय ताकि अद्योत्तर कार्रवाई की जा सके। अन्यथा परिस्थिति में, विभागीय स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है।

भवदीय,

वरीय लेखा अधिकारी,
बिहार, पटना 15

9/4/15
13/4/15